प्रेस विज्ञप्ति

भारतीय मानक ब्यूरो अहमदाबाद शाखा कार्यालय

दिनांक : 24 अप्रैल , 2017

हमारा सन्दर्भ : अह.शा.का./प्रेस नोट/20170418/2

स्वचल वाहन – वायवीय टायरों के लिये ट्यूब के निर्माता इकाई में भारतीय मानक ब्यूरो का छापा

भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारीयों के एक दल ने ब्यूरो से बिना वैध लाइसेंस लिए कंपनी वायवीय टायरों के लिये ट्यूब के उत्पादन , पैर्किंग और ISI चिन्हांकन में लिप्त होने की एकत्रित आसूचना के आधार पर दिनांक 18.04.2017 को टायरों के लिये ट्यूब निर्माता में. साई इंडस्ट्रीज़, प्लॉट नो. 3512, फेज़ -4 जी.आई.डी.सी. एस्टेट, छात्राल, ता.कलोल, जिला. गांधीनगर के परिसर में प्रवर्तन छापा मारा | छापे के दौरान बड़ी मात्रा में भारतीय मानक ब्यूरो के मानक चिन्ह (ISI) का दुरूपयोग पाया गया | साक्ष के रूप में ISI चिन्ह वाले करीब 500 पाउच बरामद किए गए |

यह उत्पाद भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत आता है, जिसमें यह समाविष्ट है की कोई भी व्यक्ति भारतीय मानक ब्यूरो से मानक चिन्ह के लिए (ISI) लाइसेंस लिए बिना उत्पाद का उत्पादन नहीं करेगा | भारतीय मानक ब्यूरो की पूर्व अनुमति के बिना मानक चिन्ह का प्रयोग करने वाले के खिलाफ भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अनुच्छेद 11(1), 12(ख) के उल्लंघन की करवाई की जाएगी | यह अपराध दंडनीय है जिसके अंतर्गत एक वर्ष तक का कारावास, अथवा ₹. 50,000/- का आर्थिक दंड अथवा दोनों का प्रावधान है |

बेईमान निर्माता आम तौर पर जनता को धोका देने के लिए बिना वैध लाइसेंस के भारतीय मानक ब्यूरो के मानक चिन्ह (ISI) का प्रयोग करते हैं | भारतीय मानक ब्यूरो समय समय पर इस प्रकार की सामग्री के उपयोग से धोका और संभावित सुरक्षा खतरों से आम जनता को बचाने के लिए शृंखलाबद्ध रूप से दुरूपयोग की प्राप्ति / एकत्रित सूचना के अनुसार छापा मारती है | कोई भी व्यक्ति जिसके पास भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणचिन्ह के दुरूपयोग की जानकारी हो तो वे उसके बारे में प्रमुख, भारतीय मानक ब्यूरो, अहमदाबाद शाखा कार्यालय, तीसरा तल, नवजीवन अमृत जयंती भवन, गुजरात विद्यापीठ के पीछे, ओफ्फ़ आश्रम रोड, अहमदाबाद -380014 (दूरभाष – 079-27540317) को लिख सकते हैं | शिकायत को <u>ahbo@bis.gov.in</u> अथवा <u>enf@bis.gov.in</u> पर ईमेल द्वारा की जा सकती है | <u>इस प्रकार की सूचना देने वाले की पहचान को अतिगोपनीय रखा जायेगा</u>

Fr. che

अजय कुमार लाल वैज्ञानिक-ई एवं प्रमुख (अहमदाबाद शाखा कार्यालय)

Press Release

Bureau of Indian Standards

Ahmedabad Branch office

Our Ref: AHBO/Press Note/20170418/1

Date: 24 April, 2017

BIS Raid on manufacturing Unit of Tubes for Pneumatic Tyres

An enforcement raid was carried out by team of officers of Bureau of Indian Standards, at the premises of M/s Sai Industries, Plot No. 3512, Phase - 4 GIDC estate, Chhatral, Ta. Kalol, Distt. Gandhinagar, a manufacturer of Tubes for Pneumatic Tyres on 18th April, 2017 based on an input that the unit indulged in manufacturing, marking and packing of pneumatic tubes with ISI mark without having valid license from BIS. During the operation large scale misuse of BIS Standard mark (ISI) was found. More than 500 pouches (Approx.) of tubes for pneumatic tyres of various brand names bearing imitation of ISI mark were seized as evidence.

The said product is under mandatory certification notified by Government of India which implies that no person shall manufacture the product without having license from BIS to use the BIS standard mark (ISI). Action is being initiated against the offender for using BIS standard mark without prior permission of BIS, under violation of section 11 (1) and 12 (b) of BIS act 1986. The offence is punishable by imprisonment up to 1 year or a fine of ₹. 50,000/- or both.

Unscrupulous manufacturers use BIS standard mark (ISI mark) without valid license to deceive the public in general. BIS, Ahmedabad has been carrying out series of raids (search and seizure operations), as and when information about misuse of Standard Mark is received/collected, to protect the consumer from such deception and possible safety hazards which emanate from usage of such substandard material. Anybody who has information about the misuse of Standard Mark may write to the Head, Bureau of Indian Standards, Ahmedabad Branch office, 3rd Floor, Navajivan Amrut Jayanti Bhavan, Behind Gujarat Vidyapith, Off. Ashram Road, Ahmedabad- 380014 (Phone No. 079-27540317). A complain can also be made by email at abbo(abis.gov.in, or enf(abis.gov.in. The identity of the informant would be kept strictly confidential.

Ajay Kumar Lal

Sc-E

(BIS, Ahmedabad Branch Office)